न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
028/2019 (GCMS 2019/00125)	25.10.2018	17.02.2021

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

घनश्याम छीपा पुत्र बरदीचन्द्र (विकेता/मालिक) मैसर्स पशुपतिनाथ नमकीन भण्डार, सुभाष चौक, चित्तौड़गढ़ (राज.) निवासी अशोक नगर, चित्तौड़गढ़ राजस्थान।

अप्रार्थी

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण संख्या का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेन्द्र सिंह राणावत ने विपक्षी के विरूद्ध परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.02.2019 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चितौडगढ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहे था और इन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक **FH/PFA/Notification/2011/440 Dated 25-07-2011** के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक/एफएसएसए/2016/465 दिनांक 03.05.2016 के अनुसार इनका कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया था, और जिला चितौडगढ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र इनके कार्य क्षेत्र में आते है। गजट नोटिफिकेशन, अधिसूचना एवं आदेश की सत्यापित छायाप्रतियाँ न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.02.2019 को समय 05.50 पी.एम. पर मैसर्स पशुपतिनाथ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:09 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नमकीन भण्डार, मिस्त्री मार्केट, सुभाष चौक, चित्तौड़गढ़ (राज.) पर महेन्द्र सिंह के साथ पहुँचें। वहां पर घनश्याम छीपा पुत्र बरदीचन्द्र उक्त फर्म में विक्रेता की हैसियत से खाद्य पदार्थ नमकीन (सोयाबीन तेल से निर्मित) आदि आम जनता को विक्रय कर रहे थे एवं विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखे हुए थे। मौके पर गवाहान महेन्द्र सिंह की उपस्थिति में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय पत्र विक्रेता को दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया, विक्रेता ने बताया कि उक्त फर्म का मालिक वह स्वयं है। विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त फर्म पर कुल लगभग 20 नमकीन (सोयाबीन तेल से निर्मित) स्टील की ट्रे में विक्रय हेतु रखा पाया गया। विक्रेता ने बताया की उक्त नमकीन सोयाबीन तेल से निर्मित है व आम जनता को उपभोग हेतु रखा हुआ है। मिलावट की शंका होने पर उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना एफएसएसए एक्ट 2006 के तहत जॉच हेतु लेने के लिए विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्ग नम्बर **V A** की प्रति गवाहान की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जो की न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त नमकीन (सोयाबीन तेल से निर्मित) दो किलो नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को रूपये 240/– नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा मौके पर उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। साथ ही उक्त फर्म द्वारा प्रस्तुत खाद्य अनुज्ञा पत्र की प्रति भी संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुदा खाद्य पदार्थ को चार बराबर–बराबर भागो में (प्रत्येक भाग मे 500 ग्राम नमकीन) बांट कर अलग–अलग कांच के जारों में रख कर प्रत्येक जार में ढक्कन लगाकर अच्छी तरह एयर टाईट बंद किया। उक्त नमुना भागो हेतु 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर लेबल चिपकाये लेबल पर खाद्य पदार्थ का नाम, स्थान व दिनांक आदि अंकित कर मैने गवाहान व व्यापारी ने हस्ताक्षर किये थे। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागजों में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1013** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। एक सील नमूना भाग के सीरे पर एक पेंदे पर एवं दाई और एवं एक बाई और लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमुनों पर गवाहान के हस्ताक्षर कराकर नमुने का पुर्ण विवरण लिखकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:09 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

में लिया। विक्रेता को उक्त नमुने के एक भाग (चौथा भाग) को एक्रीएटेड लैब मे जॉच कराने की जानकारी मौके पर ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दे दी गई थी। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों को गवाह बनने हेतु बार बार आग्रह किया गया किन्तु किसी के भी गवाह बनने हेतु तैयार न होने पर महेन्द्र सिंह को गवाह बनाकर सम्पूर्ण कार्यवाही उनके सामने की गयी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं मौके पर उपस्थित गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना सील चपड़ी किया गया, उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका पंचनामा पर अंकित किया गया। फर्द रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्रवाहक के साथ खाद्य विशलेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाने हेतु भिजवाया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में जमा की खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से अलग अलग रसीद प्राप्त की गई जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2019/1318 दिनांक 11.04.2019 द्वारा ज्ञात हुआ कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना वास्ते जाँच क्रय किया गया था जो कि अनसेफ पाया गया था। जाँच रिर्पोट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रतियां संलग्न है। विक्रेता द्वारा रेफरल प्रयोगशाला में पुनः जांच हेतु आवेदन किया गया एवं नमूना पुनः जांच हेतु रेफरल प्रयोगशाला भेजा गया। रेफरल प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त नमूना सबस्टेण्डर्ड पाया गया हैं। इस बाबत अभिहित अधिकारी चित्तौड़गढ़ का अग्रेषण पत्र व रेफरल प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट मूल ही संलग्न हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक 1318 दिनांक 11.04.2019 की पालना में अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2019/2842 दिनांक 08.08.2019 के द्वारा आवेदक

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:09 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्त ने सब–स्टेण्डर्ड नमकीन (सोयाबीन तेल से निर्मित) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित है। अतं में प्रार्थना की गई कि आवेदन न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत है कि उक्त अभियुक्तों को दण्डित करावें।

इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 19.12.2019 को अप्रार्थी स्वयं हाजिर आया। दिनांक 17.02.2021 को अप्रार्थी के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली को गुणावगुण पर निर्णय हेतु रखा गया एवं पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का मनन किया। उक्त प्रश्नगत खाद्य पदार्थ अप्रार्थी के कब्जे से बरामद किया गया है जिसकी पुष्टि फर्द पंचनामा से होती है। अप्रार्थी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में किसी और प्रकार के अनुसंधान की आवश्यकता नहीं है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या **LS 64/Act/2019/77** दिनांक 06.03.2019 का अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ नमकीन (सोयाबीन तेल से निर्मित) अनसेफ होना पाया गया है। विपक्षी द्वारा अधिनियम की धारा 46(4) के तहत उक्त खाद्य नमूने की पुनः जाँच हेतु नियमानुसार सीएमएचओं चित्तौड़गढ़ को आवेदन किया गया जिसके आधार पर नियमानुसार सीएमएचओं चित्तौड़गढ ने उक्त खाद्य नमूने की रेफरल प्रयोगशाला में पुनः जॉच कराई गई रेफरल प्रयोगशाला की जॉच रिपोर्ट अनुसार उक्त नमूना सबस्टैन्डर्ड होना पाया गया रेफरल प्रयोगशाला की जॉच रिपोर्ट संलग्न है। **REFERAL FOOD LABORATORY PUNE** की रिपोर्ट संख्या **RFL/DO/301/19/584/2019** जो कि अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ प्रेषित की गई शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन में प्रस्तुत तथ्यों को ठोस दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित कराया गया है एवं उक्त समस्त दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध होकर रिकार्ड है, ऐसी स्थिति विपक्षीगण के प्रस्तुत जवाब परिवाद के संबंध में

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:09 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कोई भी ठोस दस्तावेज विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतुस्त दस्तावेजी साक्ष्य से हम संतुष्ट है, एवं प्रकरण की किसी प्रकार की अतिरिक्त शहादत की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसके साथ ही हमने **REFERAL FOOD LABORATORY PUNE** की रिपोर्ट संख्या **RFL/DO/301/19/584/2019** का अवलोकन किया। निदेशक, **REFERAL FOOD LABORATORY PUNE** की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ का नमूना वास्ते जाँच क्रय किया गया था, जो कि एफएसएस एक्ट 2006 के अनुसार सब्स्टेण्डर्ड होना होना पाया गया। हमने निदेशक, **REFERAL FOOD LABORATORY PUNE** की रिपोर्ट का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। निदेशक, **REFERAL FOOD LABORATORY PUNE** रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :–

Certificate No.RFL/DO/301/19/584/2019

Certified that the sample bearing no. AM-1013 purporting to be a sample Namkeen (Made from Soyabean Oil) Loose was received on 06.06.2019 with memorandum No. FSSA/2019/1827 dated 31.05.2019, from Designated Officer (Food Safety) Cum Chief Medical & Health Officer, Chittorgarh, Rajasthan for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on the receipt was as follows:-

The seals on outer covering were intact, unbroken and tallied with the specimen impression of the seal received separately from the Designated Officer

I, Mr. Hemant S. Kulkarni, found the sample to be Shev - Proprietary Food-falling under Regulation No. 2.12.1 & Food Category System No. 15.1 (Snacks & Savouries),of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analyzed from 07.06.2019 to 24.06.2019 and the results of its analysis is given below :-

Analysis Report:-

(i) Sample description:- Sample received in Plain Plastic Container.

(ii) Physical appearance:- Yellowish medium size shev. Normal, free from extraneous matter & off-smell.

(iii) Label :-- ---

Opinion:

(A) I am of the opinion that, the sample Namkeen (Made from Soyabean Oil) Loose bearing No.AM-1013, does not conform to the standards of Proprietary Food, as per Regulation No. 2.12.1 & Food Category System No.15.1 of the Food Safety and Standards (Food Products Standards & Food Additives) Regulations, 2011 and further amendments, on the basis of tests performed. Hence sub-standard as per section 3 (1) (zx) of Food Safety & Standards Act 2006.

(B) It also contravenes Regulation No. 2.2 (2.2.1) under Food Safety and Standards (Prohibition & Restriction on Sales) Regulations, 2011 and further amendments.

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:09 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निदेशक, **REFERAL FOOD LABORATORY PUNE** की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ नमकीन (सोयाबीन तेल से निर्मित) का नमूना जो कि अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप **AM-1013** लिया गया, उक्त पदार्थ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(zx)** के तहत सब–स्टेन्डर्ड का पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। यह सही है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त अवमानक खाद्य पदार्थ विक्रय किया जा रहा था। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्त ने सब स्टेन्डर्ड नमकीन (सोयाबीन तेल से निर्मित) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा पदार्थ एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लंघन किया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थी को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है एवं विपक्षी घनश्याम छीपा पुत्र बरदीचन्द्र (विकेता/मालिक) मैसर्स पशुपतिनाथ नमकीन भण्डार, सुभाष चौक, चित्तौड़गढ़ (राज.) निवासी अशोक नगर, चित्तौड़गढ़ राजस्थान को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभिुक्त को अधिनियम की धारा 51 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान दिये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 51 के अनुसार–

49. General provisions relating to penalty.

While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,

(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:09 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(c) The repetitive nature of the contravention,
(d) Whether the contravention is without his knowledge, and
(e) Any other relevant factor,

51. Penalty for sub-standard food.
Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is sub-standard, shall be liable to a penalty which may extend to five lakh rupees.

अधिनियम की धारा 49 एवं 51 में उक्त प्रावधान किये गये है ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** में अभियुक्त की दोषसिद्धि घोषित किये जाने से अभियुक्त श्री घनश्याम छीपा पुत्र बरदीचन्द्र (विकेता/मालिक) मैसर्स पशुपतिनाथ नमकीन भण्डार, सुभाष चौक, चित्तौड़गढ़ (राज.) निवासी अशोक नगर, चित्तौड़गढ़ राजस्थान को की दोषी सिद्धि होने से अभियुक्तगणों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन करने से अभियुक्त श्री घनश्याम छीपा पुत्र बरदीचन्द्र (विकेता/मालिक) मैसर्स पशुपतिनाथ नमकीन भण्डार, सुभाष चौक, चित्तौड़गढ़ (राज.) निवासी अशोक नगर, चित्तौड़गढ़ राजस्थान को 30000/– अक्षरे तीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **17.02.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.02.20 19:29:09 IST
Reason: SelfAttested